

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

27 अगस्त, 2015 (ई०)

गुरुवार, तिथि-

[तृतीय-सत्र]

05 भाद्रपद, 1937 (श०)

[तृतीय-सत्र]

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

-: प्रश्नोत्तर :-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-: ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य :-

- (04)- श्री बादल, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-24.08.2015, 25.08.2015 एवं 26.08.2015 से स्थगित)
- (05)- श्री प्रदीप यादव, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-25.08.2015 एवं 26.08.2015 से स्थगित)
- (06)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-25.08.2015 एवं 26.08.2015 से स्थगित)
- (07)- सर्वश्री दीपक बिरुवा, डॉ० अनिल मुरमू एवं श्री दशरथ गागराई, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-25.08.2015 एवं 26.08.2015 से स्थगित)
- (08)- सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, साधु चरण महतो एवं श्री लक्ष्मण डुई, स० वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-25.08.2015 एवं 26.08.2015 से स्थगित)

कृ०पृ०३०.../-

- (09)- श्री स्टीफन मराण्डी,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 से स्थगित)
- (10)- श्री मनीष जयसवाल,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 से स्थगित)
- (11)- श्री मनोज कुमार यादव,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 से स्थगित)
- (12)- श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 से स्थगित)
- (13)- श्री हरिकृष्ण सिंह एवं श्री बिरंची नारायण,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:-26.08.2015 से स्थगित)
- (14)- श्री अरूप चटर्जी,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (15)- सर्वश्री नवीन जयसवाल,राधाकृष्ण किशोर एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (16)- श्री शिव शंकर उरॉव एवं श्री ताला मराण्डी,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहाकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (17)- श्री प्रकाश राम,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (18)- श्री जय प्रकाश भाई पटेल,स०वि०स० की घ्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

- (19)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(20)-मंत्री (संसदीय कार्य), प्रस्ताव करेंगे कि “भारत का संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 14 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2013-14 एवं स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 को झारखण्ड सरकार, जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने माननीया राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ, तथा इस कम में मंत्री (संसदीय कार्य) पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिये प्राप्य हो।

:- सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

(21)-झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(22)-याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

:- विधायी-कार्य :-

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2015

(23)-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(24)-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(25)-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2015” पर विचार हो।

(26)-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

(27)-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

- (28)-कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रणधीर कुमार सिंह उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (29)-कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2015” पर विचार हो।
- (30)-कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक,2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक,2015

- (31)-कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (32)-कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रणधीर कुमार सिंह उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (33)-कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री,श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015” पर विचार हो।
- (34)-कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2015”स्वीकृत हो।

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक,2015

- (35)-कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री रघुवर दास प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक,2015”को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (36)-कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री रघुवर दास,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (37)-कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक,2015”पर विचार हो।
- (38)-कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि“झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक,2015”स्वीकृत हो।

झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015

- (39)-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (40)-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (41)-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015” पर विचार हो।
- (42)-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री रणधीर कुमार सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड कृषि उपज बाजार (संशोधन) विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015

- (43)-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (44)-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (45)-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015” पर विचार हो।
- (46)-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015

- (47)-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (48)-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (49)-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015” पर विचार हो।

(50)-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री अमर कुमार बाउरी प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड पर्यटन स्थल (संरक्षण एवं रख-रखाव) विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक, 2015

(51)-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री रघुवर दास प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(52)-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(53)-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक, 2015” पर विचार हो।

(54)-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री (मुख्यमंत्री), श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड लोक सेवा आयोग अतिरिक्त कार्य विस्तारण विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

(55)-नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(56)-नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(57)-नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015” पर विचार हो।

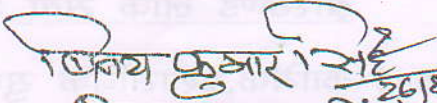
(58)-नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015” स्वीकृत हो।

(59)-अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१५-२५२५/वि०स०,राँची,दिनांक-२६...अगस्त,१५ई०।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची/ लोकसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

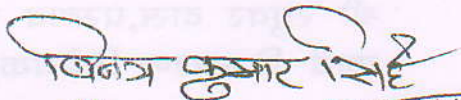

(बिनय कुमार सिंह) २६/८/१५

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१५-२५२५/वि०स०,राँची,दिनांक-२६...अगस्त,१५ई०।

प्रतिलिपि:- उप सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


(बिनय कुमार सिंह) २६/८/१५

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१५-२५२५/वि०स०,राँची,दिनांक-२६...अगस्त,१५ई०।

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बिनय कुमार सिंह) २६/८/१५

अपर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

फैजान/-


२६/०८/१५